

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 87 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

श्रीराम हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय – Office No. 123, Angappa Naicken Street Chennai-600 001 & Head Office: Level-3, Wockhardt Tower, East Wing, C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051,

शाखा कार्यालय – Branch Office P.N.-245-246, 2nd floor Omkar Tower, Hanuman Nagar-D, Amarpali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur Raj. 302021 (Raj.)

जरिये अधिकृत अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मेहरुनिशा पत्नी मौहम्मद अनवर

पता— मुगल हाउस, मौहल्ला इस्लामुपर, फतेहपुर रोड, सीकर—332001

2. मौहम्मद अनवर पुत्र मौ. याकुब

पता— मुगल हाउस, मौहल्ला इस्लामुपर, फतेहपुर रोड, सीकर—332001

—अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:— 09 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार स्वामी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः मेहरुनिशा पत्नी मौहम्मद अनवर एवं मौहम्मद अनवर पुत्र मौ. याकुब की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 11,

(मुकुल शर्मा)


जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



वार्ड नं. 45, खसरा नं. 1909/35, सबलपुरा पॉवर हाउस के सामने, फतेहपुर रोड, सीकर, राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में प्लॉट नं. 10, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. 12, उत्तर दिशा में सारता एवं दक्षिण दिशा में मुकन्दराम चेजारा की सम्पत्ति स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर रु. 12,56,420/- (अक्षरे रूपये बारह लाख छप्पन हजार चार सौ बीस) एवं रु. 46,91,666/- (अक्षरे रूपये छियालीस लाख इक्यानवें हजार छः सौ छियासठ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इरतदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 17.05.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः मेहरुनिशा पत्नी मौहम्मद अनवर एवं मौहम्मद अनवर पुत्र मौ. याकुब की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 11, वार्ड नं. 45, खसरा नं. 1909/35, सबलपुरा पॉवर हाउस के सामने, फतेहपुर रोड, सीकर, राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में प्लॉट नं. 10, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. 12, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में मुकन्दराम चेजारा की सम्पत्ति स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का रथगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर